स्पीड-पोस्ट

संख्या बी.-31016/21/2008-सामान्य
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 13/10/08

सेवा में,

सूची अनुसार

विषय:- सफाई कर्मचारी इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु ।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको इस मंत्रालय के नासा, नेशनल एकडमी ऑफ स्टेटिशकल एडमीनेशन, प्लाट न0 – 22, नॉलेज पार्क – II, ग्रैटर नौएडा, उत्तर प्रदेश (नजदीक इण्डिया एक्पोमार्ट) के लिए निम्नलिखित आधार पर सफाई कार्य इत्यादि के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए सील बन्द कोटेशन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है :-

1. प्रति व्यक्ति बिना सामान (सप्ताह में पाँच दिन)
2. प्रति व्यक्ति बिना सामान (सप्ताह में छः दिन)
3. प्रति व्यक्ति बिना सामान (पूरे माह)
*4. प्रति व्यक्ति सामान सहित (सप्ताह में छः दिन)
*5. प्रति व्यक्ति सामान सहित (पूरे माह)

*उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई के पूरे सामान के नाम सहित पूर्ण विवरण दें ।

2. सफाई इत्यादि कार्य के लिए निम्नलिखित समय के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगें

1. प्रातः 7.30 बजे से 11.00 बजे तक व 4.30 बजे शाम से 7.30 बजे शाम तक
2. प्रातः 7.30 बजे से 4.00 बजे शाम तक
3. प्रातः 9 बजे से शाम 6.30 बजे तक

उक्त समय परिवर्तित भी किया जा सकता है ! प्रातः 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक के समय के कर्मचारी को कार्य अनुसार 6.30 बजे तक बिना अतिरिक्त राशि भुगतान के रोका जा सकता है ! 6.30 बजे बाद कार्य के लिए रोकने पर 6.30 बजे से अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी ! प्रति घण्टे व प्रति दिन के रेट भी कोटेशन में वर्णित करें !

3. रेट टैक्स इत्यादि सहित दिया जाए ! ठेका आबंटित अवधि के दौरान रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा !

4. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ग्रैटर नौएडा आथिरीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जानी आवश्यक है तथा प्रतिमाह इसका प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है !

5. कोटेशन के साथ निवास का सबूत (राशन कार्ड, बिजली बिल की फोटो प्रति इत्यादि,) पैन कार्ड, अनुभव के प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति इत्यादि संलग्न करना अनिवार्य है !

6. सफल कोटेशन के मंजूर राशि प्रति व्यक्ति 10% (प्रथम माह में) जमानत राशि के तौर पर इस मंत्रालय के सरकारी खजाने में जमा कराना अनिवार्य होगी ! सफल कार्य निपटान के बाद जमा जमानत राशि वापिस कर दी जाएगी !

7. कोटेशन के साथ रू0 2000/- (रू0 दो हजार मात्र) का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम संलग्न करना अनिवार्य है । बिना ड्राफ्ट के कोटेशन मान्य नहीं होगी । यदि आपको कार्य आबंटित किया जाता है और आप कार्य करने से इन्कार करते हैं तो आपकी उक्त राशि जब्त कर ली जाएगी ।

8. कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के नाम दिनांक 21 अक्तूबर 2008 तक अपराह्न 3.00 बजे तक इस मंत्रालय के स्वागत कक्ष के बाहर बने कोटेशन बाक्स में डाली जा सकती है । तदोपरान्त प्राप्त होने वाली कोटेशन मान्य नहीं होगीं । कोटेशन उसी दिन कमरा न0 222ए द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन में अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएँगी । आप स्वंय या आपके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय पर उपस्थित रह सकते हैं ।

9. आपका कार्य संतोषजनक न होने या कार्य की शिकायत प्राप्त होने की अवस्था में, इस मंत्रालय को आपको आबंटित उक्त कार्य रद्द करने का तथा आपकी जमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

10 इस मंत्रालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(राम मोहन)
अवर सचिव,भारत सरकार